न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 61/2018 राजस्व अपील

1. घनश्याम प्रसाद शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा हालॅ निवासी श्याम नॉलेज पार्क शिक्षा समिति देहलाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय लालसोट
2. सहायक वन संरक्षक महोदय दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.05.2018 न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा उनवानी प्रकरण क्षेत्रीय वन अधिकारी लालसोट बनाम घनश्याम शर्मा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट. मु.न. 02/2017

उपस्थिति : श्री एच. एन. माठा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: निर्णय :–

दिनांकः 26.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध एक शिकायत सं. 0916032912543 दिनांक 05.09.2016 को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतकर्ता दीपक शर्मा (सरपंच ग्राम डिडवाना) द्वारा डाली गई। उक्त शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा अपीलान्ट को अ.धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस क्रमांक 49 दिनांक 21.07.2017 को ग्राम देहलाल के ख. न. 284/227 पर 7 बीघा भूमि पर अतिचार किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया की ख.न. 284/227 मैजा ग्राम देहलाल (डिडवाना) वन खण्ड डूंगरी संख्या–7 लगभग 7 बीघा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पक्की दीवार एक गेट चौकीदार का कमरा पक्का निर्माण कार्य आधा भवन दो मंजिला मय तहखाना व कार्यशाला बना रखी है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम देहलाल (डिडवाना) वन खण्ड डूंगरी संख्या–7 लगभग 7 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 5100 रु शास्ति कायम के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को नजर अंदाज कर एंव सामूहिक सर्वे रिपोर्ट के अभाव में ही आनन–फानन में तथ्यो को अन्देखा कर अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट स्वयं की खातेदारी की आराजी ख.न. 225, 226, 283/227 वाकै ग्राम देहलाल पर ही काबिज है। अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत कर्ता दीपक शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत डिडवाना द्वारा सीमा–विवाद पर शिकायत पेश करने पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हुआ। उक्त सीमा–विवाद पर अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी को सीमा संबंधी जानकारी देने हेतु निवेदन किया। जिस पर हल्का पटवारी ने अपीलान्ट की भूमि ग्राम देहलाल तहसील रामगढ पचवारा एवं ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट की सीमा से सटा हुआ बताया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत डिडवाना के सरपंच दीपक शर्मा के समक्ष हल्का पटवारी अमराबाद तहसील रामगढ पचवारा द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश करने पर स्वयं शिकायत कर्ता दीपक शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत डिडवाना द्वारा दिनांक 23.08.2017 को पत्र क्रमांक 243/17 जारी किया गया जिसमें अपीलान्ट द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण न होने के बारे मे स्पष्ट तौर पर लिखा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त पत्रांक भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलान्ट के दस्तावेजात को नजर अंदाज कर अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी का निर्णय दिनांक 03.05.2018 पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का निर्णय दिनांक 03.05.2018 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि की रेस्पोडेन्ट नं. 03 व 04 की उपस्थिति मे सीमा ज्ञान करवाये बिना अपीलान्ट के कब्जे, निर्माण में किसी तरह की दखलन्दाजी नही करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि धनश्याम शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रबन्धक श्याम कॉलेज ऑफ इन्जिनियरिंग डिडवाना द्वारा वन भूमि ख.न. 284/227 जुज मैजा ग्राम देहलाल (डिडवाना) वन खण्ड डूंगरी संख्या–7 लगभग 7 बीघा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पक्की दीवार एक गेट चौकीदार का कमरा पक्का

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्माण कार्य आधा भवन दो मंजिला मय तहखाना व कार्यशाला बना कर अतिक्रमण करने बाबत क्षेत्रीय वन अधिकारी लालसोट द्वारा इस्तगासा पेश करने पर अपीलान्ट का ग्राम देहलाल (डिडवाना) वन खण्ड डूंगरी संख्या–7 लगभग 7 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 5100 रु शास्ति कायम के आदेश पारित किये गये है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि स्वयं की खातेदारी मे होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान किये जाने के पश्चात विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण सहायक वन संरक्षक दौसा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.05.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है की वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करवाकर विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर तदनुसार नियमोचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा